

क्रमांक :- एफ.2(4902)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/ 1/13317/2017

जयपुर, दिनांक : 25/11/17

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री मुरारीलाल, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, प. सं.-बयाना, भरतपुर को M.C.A. (Master Of Computer Application), Jaipur National University, Jaipur से पत्राचार के माध्यम से अग्रिम अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री मुरारीलाल, सूचना सहायक, को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों की परीक्षा के लिये पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

(आशुतोष. एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भरतपुर।
2. श्री मुरारीलाल, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, प.सं.-बयाना, भरतपुर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-एफ.2(6461)/डीओआईटी/संस्था/14/1/63315/2017

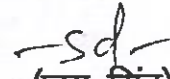
जयपुर, दिनांक 25/1/2017

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गोपाल सिंह खींचड, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप-निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू को Govt. Engineering College, Ajmer से M.Tech के लिए Research work and VIVA करने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त Research work and VIVA में सम्मिलित होने की अनुमति श्री गोपाल सिंह खींचड, प्रोग्रामर को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
3. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से आपको किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और आपका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. यदि स्थानान्तरण होता है तो इस अध्ययन के आधार पर इससे निरस्त नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन से आप दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में आपकी उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों वश अध्ययन की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

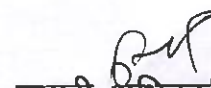

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, झुन्झुनू।
2. श्री गोपाल सिंह खींचड, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप-निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

4. प्रभारी डा. वि. प्र. ने. के. एस. डी.


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)